

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 433 / 14 दिनांक, मेरठ 28, जुलाई, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- चौधरी चरण सिंह कावड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि०मी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 4164 वृक्षों एवं विभिन्न वर्षों के वृक्षारोपणों के 25000 पौध कुल 29164 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1-उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-144/51-2-2021-800(123)/2021, दिनांक 26.07.2021।
2-आपका पत्रांक 290/11सी-FP/UP/Others/121197/2021 दिनांक 27.07.2021।
3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद का पत्रांक 492/14-1 दिनांक 27.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या-पी-144/51-2-2021-800(123)/2021, दिनांक 26.07.2021 द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि चौधरी चरण सिंह, कावड मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि०मी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हे० संरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 4164 वृक्षों एवं विभिन्न वर्षों में रोपित 25000 पौधे कुल 29164 वृक्षों/पौधों को भाग-2 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है तथा संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों को समावेश कर भाग-2, वृक्षों की सूची, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जिसे संलग्न कर 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपोक्तानुसार।

Saurabh Shukla
9540933515

भवदीय

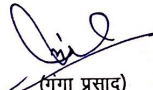


(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 433 / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।